रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)—72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 521] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1981/अग्रहायण 3, 1903

No. 521] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1981/AGRAHAYANA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1981

का०आ० 825(अ)/18/कक/आई डी आर/81.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 826/18कक/आई डी आर ए/76 ता० 25 नवम्बर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम का पूर्ण प्रबन्ध 24 नवम्बर 1981 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी है; ग्रहण कर लिया गया था और उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन को प्राधिकृत किया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 24 मई, 1982 पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात, तक की छह मास की और अवधि के लिए महाराष्ट्र स्टेट टैक्सटाइल्स कारपोरेशन के अधीन बना रहे ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 24 मई, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 3/17/75-सी यू सीएस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th November 1981

S.O. 825(E) 18AA/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18AA/IDRA/76, dated 25th November, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 24th November, 1981 and the Maharashtra State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said Industrial undertaking;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Maharashtra State Textile Corporation for a further period of six months upto the 24th May, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue

to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 24th May, 1982.

[File No. 3/17/75-CUS]

का०आ० 826(अ)/18 च ख/आई डी आर.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 826(अ)/18 च ख/आई डी आर ए/76, तारीख 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति, हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों [महाराष्ट्र, सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नकद प्रत्यय सीमा के अधीन परादेय रकम के विस्तार तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रति दायित्वों को और नकद प्रत्यय लेखा (साधारण) में से मिल द्वारा निकाली गई रकमों को, जहां तक कि वे वर्तमान आस्तियों के अंतर्गत हैं, छोड़कर] में प्रवर्तन, जिनका मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हैं, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यताएं, और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर विस्तारित की जाती रही है, जिसमें से अन्तिम विस्तारण 24 नवम्बर, 1981 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए था ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 24 मई, 1982 तक की आगामी अवधि तक (जिसमें यह तिथि भी शामिल है), के लिए और विस्तारित कर दी जानी चाहिए ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 24 मई, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए और विस्तारित करती है।

[फा०सं० 3 (17)/75-सी यू एस]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

No. S.O. 826 (E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76, dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said order) the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amounts outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the duration of the said order was extended from time to time, the last of such extensions being upto and inclusive of 24th November, 1981;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of 24th May, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of 24th May, 1982.

[F. No. 3(17)/75-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981